

केर सांगरी को GI टैग प्राप्त

चर्चा में क्यों?

राजस्थान की लोकप्रिय व्यंजन **केर सांगरी** को **भौगोलिक संकेत (GI) टैग** मिला है, जो इसे पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले वशिष्ट क्षेत्रीय उत्पाद के रूप में मान्यता देता है।

मुख्य बिंदु

■ केर सांगरी के बारे में:

- केर सांगरी एक **पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन** है, जो दो देशी रेगसितानी पौधों से बनाया जाता है:
 - **केर** – एक छोटा, जंगली बेरी।
 - **सांगरी** – एक बीस की तरह फलने वाला फल है, जो **खेजड़ी** के पेड़ पर उगता है। यह शुष्क क्षेत्रों का स्वदेशी वृक्ष है।
- ये सामग्री थार के सूखे, रेतीले इलाके में प्राकृतिक रूप से उगती हैं।
- ऐतिहासिक रूप से, केर सांगरी सूखे के समय जीवित रहने वाले खाद्य के रूप में विकसित हुई थी, जब ताज़ी सब्जियाँ उपलब्ध नहीं होती थीं।
- समय के साथ, यह व्यंजन राजस्थान का लोकप्रिय व्यंजन और सांस्कृतिक प्रतीक बन गया।
- **खेजड़ी का पेड़**, जिससे सांगरी प्राप्त होती है, **सांस्कृतिक और पारस्थितिक दृष्टि** से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह **बशिनोई समुदाय** द्वारा पवित्र माना जाता है, जिसने सदियों से इस पेड़ को जीवन और स्थिरता के प्रतीक के रूप में संरक्षित रखा है।

■ केर सांगरी के लिये GI टैग का महत्व:

- यह इसके **प्रामाणिकता को नकली या घटिया उत्पादों से बचाता है**।
- यह **स्थानीय किसानों और कारीगरों को उचित सम्मान और पारिश्रमिक दिलाने में सहायक है**।
- **राजस्थान के अन्य GI-टैग उत्पाद:**
- राजस्थान अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हस्तकला के लिये कई GI टैग प्राप्त उत्पादों के लिये प्रसिद्ध है। इनमें प्रमुख हैं: **सोजत मेहंदी**, **बीकानेरी भुजिया**, **कोटा डोरिया**, **जयपुर की ब्लू पॉटरी**, **मोलेला माटी के काम**, **राजस्थान की कठपुतलियाँ**, **सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग**, **बागड़ू हैंड ब्लॉक प्रिंट**, **थेवा कला**, **पोकरण मटिटी के बरतन**, **नाथद्वारा पचिवाई चित्रकला**, **उदयपुर की कोफ्तगारी धातु कला**, **बीकानेर कशीदाकारी**, **जोधपुर बंदेज कारीगरी**, **बीकानेर उस्ताद कला** और **मकराना संगमरमर**।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

■ परिचय:

- भौगोलिक संकेत (GI) टैग, एक ऐसा नाम या चिह्न है जिसका उपयोग उन वशिष्ट उत्पादों पर किया जाता है जो किसी वशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
- GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल **अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है**।
 - यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किये जाने से भी बचाता है।
- एक पंजीकृत GI टैग **10 वर्षों के लिये वैध** होता है।
- GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग** द्वारा की जाती है।

■ वधिकि ढाँचा:

- **वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999**
- **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) पर WTO समझौते** द्वारा वनियमिति एवं नरिदेशति है।

